चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में थाना मानिकपुर की पुलिस टीम ने थाना मानिकपुर अन्तर्गत जंगल में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना फरार आरोपी अभियुक्त 25 हजार के इनामिया को अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1.अखिलेश उर्फ पटेल पुत्र शिवपूजन रैदास उम्र 24 वर्ष नि0 करवई थाना को0 देहात जनपद बांदा

<u>प्रकाश/फरार अभियुक्तों का विवरण</u>

1.लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब 24 वर्ष

<u>बरामदगीः-</u>

एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समयः-</u>

काली घाटी मानिकपुर के पार्क गेट के पास सडक की बायीं पटरी के किनारे दिनांक 27.07.2026 समय 3.20 बजे

<u>सक्षिप्त विवरणः-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 14.07.2026 को नाबालिक वादिनी/पीड़िता ने सूचना दिया कि दिनांक 13.07.2026 को समय करीब 12.00 बजे दिन अपने ब्याय फ्रेंड जिन्नू से बातचीत होने के बाद झरी फाटक से आगे करीब एक किलोमीटर जाने के बाद दाहिनी ओर कच्चे रास्ते से जंगल की ओर गये कुछ दूर जाने के बाद जिन्नू अपनी मोटर साइकिल खड़ी कर दिया, वहाँ से हम दोनों जंगल के अन्दर कुछ दूर चेकडैम के पास पहुंचे की 03 लोगो को वहाँ पर नहाते हुए देखा तो तुरन्त हम दोनों दूसरी ओर जाने लगे। इतने में वे तीनों लड़के हमलोगो को देख लिये और उसमें से एक आदमी दौड़कर पास आकर धमकाते हुए रोक लिया। हम लोग डर गये उनके पास असलहा भी था। वे तीनों लड़के वादिया/पीड़िता व जिन्नू को जंगल के अन्दर काफी दूर लगे गये पीड़िता के काले रंग की दुपट्टे से जिन्नू का दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिया और वादिनी/पीड़िता को झाड़ी के पीछे ले जाकर पुरी कपड़े उतारकर किसी को न बताने की धमकी देते हुए तीनों ने बारी बारी से जबरजस्ती बलात्कार किये। उसके बाद उन्ही में से 02 लोग जिन्नू की तलाशी लिये और उसकी जेब से मोटर साइकिल की चाभी लेकर कुछ खाने पीने की चीज लाने को कहकर चले गये। एक आदमी जिन्नू व पीड़िता को देखता रहा, तभी मौका पाकर जिन्नू वहाँ से भाग गया। जो लोग जिन्नू की मो0सा0 लेकर गये थे। वह मानिकपुर से समोसा आम पानी लेकर मो0सा0 से आ गये। जंगल में करीब 3-4 घंटे रोके रहे फिर 02 लोग मुझे जिन्नू की मोटर साइकिल पर पीछे बैठाकर मारकुण्डी होते हुए हनुमानधारा होते हुए कर्वी आये कुछ देर रामघाट पर रूकने के कर्वी पेट्रोल पम्प के पास छोड़ दिये और कहे कि किसी को मत बताना नही तो जान से मार देगें आगे मानिकपुर की गाड़ी मिलती है पकड़ कर चली जाना। मानिकपुर पहुचते पहुंचते पीड़िता को रात हो गयी। दुसरे दिन सुबह थाने पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर अपने साथ घटित घटना से अवगत कराया। इस सूचना के आधार पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 101/2026 धारा 70(2),127(2),351(3),304(2),131 बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पीड़िता/वादिनी नाबालिक है उसने अपने बयान 183 बीएनएसएस के बयान में यह बताया कि जिन्नू भी उसके साथ संबंध बनाता रहा है। जिसके आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में जिन्नू कोल पुत्र रघुनन्दन

कोल निवासी गेदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उम्र करीब 18 वर्ष प्रकाश में लाया गया तथा मानिकपुर रेलवे स्टेशन की तरफ से झरी फाटक की ओर आते समय झरी फाटक से 200 मीटर पहले रोड पर समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया। सीसीटीवी कैमरे में मिले क्लू व जिन्नू के निशान देही पर अभियुक्त अखिलेश उर्फ जरैला पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी करगई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब 19 वर्ष को झरी रेलवे फाटक से मारकुण्डी की ओर 100 मीटर दुर रोड पर समय 11.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अखिलेश उर्फ जरैला से पूछंताछ में बताया कि 1.अखिलेश उर्फ पटेल पुत्र शिवपूजन निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब उम्र करीब 22 वर्ष 2.लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा उम्र करीब 24 वर्ष भी घटना में शामिल थेदिनांक 27.07.2026 को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना फरार आरोपी अभियुक्त अखिलेश उर्फ पटेल पुत्र शिवपूजन निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को काली घाटी मानिकपुर के पार्क गेट के पास सडक की बायीं पटरी के किनारे समय 3.20 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा को जंगल से बरामद किया गया। एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त कि विवेचना धारा 64(1),70(2),127(2),131(2),351(3),304(2) बीएनएस व 5जी6/5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट में संम्पादित की जायेगी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय
2.उ0नि0 श्री गौरव तिवारी
3.आरक्षी शरद कुमार सिंह
4.आरक्षी संतोष सिंह
5.मुख्य आरक्षी चालक सज्जन सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमौल शर्मा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गोकुल पुत्र स्व0 रामचरन निवासी ग्राम तपसी खारा थाना परवार म0प्र0 को एक झोले में 28 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध बरगढ़ मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –
1.उ0नि0 श्री चन्द्रमौल शर्मा
2.आरक्षी हेमन्त यादव
3.आरक्षी सत्यम
4. म0आ0 प्रियंका

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए 02 परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका आरती देवी पत्नी रमेश निवासी मुहरवां द्वारा अपने पति रमेश कुमार के विरूद्ध लड़ाई झगड़ा,मारपीट तथा घर से बाहर निकालने के सम्बन्ध में एवं आरती देवी पत्नी राहुल द्विवेदी निवासी तरौहा द्वारा अपने पति व ससुराल वालो के विरुद्ध दहेज के प्रताडित करना व मारपीट करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी, महिला आरक्षी अनामिका द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र

2.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

4.महिला आऱक्षी अनामिका सिंह

(5). आज दिनाँक 28.07.2026 को श्री मान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल दिशा निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकान्त राय की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल विजय कुमार सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिस कर्मियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी।

जिसमें प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल विजय कुमार सिंह एवं साइबर सेल में नियुक्त आरक्षी प्रशान्त,आरक्षी सर्वेश कुमार,साइबर थाना में नियुक्त एएसआई श्यामलाल गुप्ता,आरक्षी रामविलास यादव द्वारा NCRP/JMIS पोर्टल के जीआरएम,एमआरएम के टैब के बारे में पुलिस कर्मियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

गोष्ठी में उपस्थित पुलिस कर्मियों को थाना स्तर पर अधिक से अधिक जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधों में कमी लाए जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को अधिक से अधिक संख्या में साइट्रैन का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बताया गया। साथ ही साथ साइबर हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण करने हेतु बताया बताया गया।

साइबर अपराध से बचाव हेतु सावधानियां।

- किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीपी नम्बर न बताये।
- एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें।
- डिजिटल अरेस्ट के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

- अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0, फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें।
- बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट, दीपावली ऑफर, कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें।
- किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से विभिन्न ग्रुप में ट्रेडिंग के लिये लिंक के माध्यम से भेजे गये ऐप को डाउनलोड कर गेमिंग के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कर लाभ कमाने जैसे फ्राड के बारे में जागरुक किया गया।
- कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें।
- फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें।

* पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें।

- साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।